



2026:AHC:3301

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19663 वर्ष 2025

महेश कुमार निठारवाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मालिक जुनेद अहमद

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल, शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मालिक जुनेद अहमद और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. पाल के तर्कों को सुना।
- प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. पाल ने एक तर्क दिया है कि उनके पास पूर्ण निर्देश हैं और वे मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं तथा वे कोई जवाब दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं तथा रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकता है।
- पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 09.04.2002 को कांस्टेबल/जीडी के पद पर हुई थी। इसके बाद उन्हें 09.11.2007 को एसआई/जीडी के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 11.03.2011 को इंस्पेक्टर/जीडी के पद पर और पदोन्नत किया गया और उन्होंने 23 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 30.06.2024 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए।
- याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 15.10.2024 और 28.10.2024 को दो आदेश पारित किए गए हैं, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता के हित में वेतन निर्धारण किया गया है और साथ ही 5,88,444 रुपये की वसूली का प्रयास किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता का कहना है कि यह कार्रवाई स्वतः ही अवैध है और कानून के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से तब जब यह याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद की गई है और याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना एकतरफा रूप से की गई है, यह धोखाधड़ी, छिपाव या झूठी जानकारी देने का मामला नहीं है।

6. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया कि चाहे जो भी हो, नियोक्ता के पास हमेशा यह अधिकार खुला रहता है कि वह किए गए दोषों को सुधारे या उनका पुनर्निर्धारण करे। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

7. मैंने न्यायालय में दिए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

8. न्यायालय का मत है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नोटिस दिए जाने के बाद ही की जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन आदेशों को चुनौती दी जा रही है, वे दिनांक 15.10.2024 और 28.10.2024 के हैं और यह याचिका एक वर्ष की अवधि के बाद दिसंबर 2025 में प्रस्तुत की गई है। वैसे भी, यह विधि का सिद्धांत है कि इस प्रकार के मामलों में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भगवान शुकला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित था, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दी गई और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई के भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिससे किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का आदेश (ज्ञापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाता है:

- (i) प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता को 31.01.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।
- (ii) याचिकाकर्ता को इसके बाद 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा और 31.03.2026 तक आदेश पारित किया जाएगा।
- (iii) इस प्रकार की वसूली की मांग की गई कोई भी वसूली और दिनांक 15.10.2024 और 28.10.2024 के आदेश उनमें पारित अंतिम आदेशों के अधीन होंगे।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)